

प्रेस नोट थाना गगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 31.08.2023

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराबों के निष्कर्षण एवं विक्रय करने के आरोप में वांछित अभियुक्त
गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अवैध अपमिश्रित कच्ची शराबों के निष्कर्षण एवं विक्रय से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी बांसगाव के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गगहा अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० सरोज प्रसाद मय हमराह उ०नि० राकेश कुमार सिंह व का० हिमान्शु प्रताप सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 547/2023 धारा 60 Ex Act व 272 भादवि में वांछित अभियुक्त संजय उरांव पुत्र स्व० निर्जल उरांव निवासी ग्राम नगड़ा थाना माण्डर जनपद रांची झारखण्ड को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

संजय उरांव पुत्र स्व० निर्जल उरांव निवासी ग्राम नगड़ा थाना माण्डर जनपद रांची झारखण्ड

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 547/2023 धारा 60 Ex Act व 272 भादवि थाना गगहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण-

1. उ०नि० सरोज प्रसाद थाना गगहा जनपद गोरखपुर
2. उ०नि० राकेश कुमार सिंह थाना गगहा जनपद गोरखपुर
3. का० हिमांशु प्रताप सिंह थाना गगहा जनपद गोरखपुर